राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 818वी बैठक दिनांक 29.11.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 818वीं बैठक दिनांक 29.11.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला नर्मदापुरम			SEAC द्वारा अनुशसित	SEAC के निर्णय से सहमत
2.	10653/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
3.	10652/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
4.	10654/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
5.	10651/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
6.	9193/2022	1(a)	मुरूम खदान	For Delist	Relist & Sent to SEAC
7.	10022/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
8.	10040/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
9.	6127/2019	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
10.	10403/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
11.	10408/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
12.	10114/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	निरस्त
13.	10148/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
14.	SEIAA/MP/MIN/ 451685/2023	1(a)	मैगनीज ओर खदान	For Standard ToR	ToR स्वीकृत
15.	SEIAA/MP/MIN/ 447141/2023	1(a)	रेत खदान	For Standard ToR	ToR स्वीकृत
16.	SEIAA/MP/MIN/ 447461/2023	1(a)	रेत खदान	For Standard ToR	ToR स्वीकृत
17.	SEIAA/MP/MIN/ 447377/2023	1(a)	रेत खदान	For Standard ToR	ToR स्वीकृत
18.	SEIAA/MP/MIN/ 447365/2023	1(a)	रेत खदान	For Standard ToR	ToR स्वीकृत
19.	SEIAA/MP/MIN/ 447380/2023	1(a)	रेत खदान	For Standard ToR	ToR स्वीकृत
20.	9651/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

			सेण्ड खदान		
21.	9710/2023	1(a)	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
22.	SEIAA/MP/MIN/ 424777/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	For Standard ToR	ToR स्वीकृत
नीतिगत निर्णय					

1. **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला नर्मदापुरम :–**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 678वीं बैठक दिनांक 13.09.2023 में नर्मदापुरम जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में अनुशंसा की गई है एवं सदस्य सचिव, SEAC के पत्र क्र. 499 दिनांक 14.09.2023 के माध्यम से अनुशंसित जिला सर्वेक्षण की प्रति SEIAA कार्यालय में दिनांक 15.09.2023 को प्राप्त हुई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 678वी बैठक दिनांक 13.09.2023 में अनुशंसित कार्यवाही मान्य करते हुए उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सदस्य सचिव, SEAC के पत्र क्र. 499 दिनांक 14.09.2023 के संदर्भ में अनुमोदित की जाती है। तदानुसार जिला कलेक्टर, नर्मदापुरम को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र. 10653/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री ईश्वर सिंह आत्मज श्री नारायण सिंह, निवासी– म.नं. 187/1, राठौर मोहल्ला, मालीखेड़ा रोड़, ग्राम आवर, तहसील आगर, आगर मालवा (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 7140 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 18,105 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 71/3, ग्राम देवली पिपलोन, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 694वी बैठक दिनांक 31.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 694वी बैठक दिनांक 31.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **आगर–मालवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री ईश्वर सिंह आत्मज श्री नारायण सिंह, निवासी– म.नं. 187/1, राठौर मोहल्ला, मालीखेड़ा रोड़, ग्राम आवर, तहसील आगर, आगर मालवा (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 7140 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 18,105 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 71/3, ग्राम देवली पिपलोन, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 7873 दिनांक 23.06.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.06.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

3. **प्रकरण क्र. 10652/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अर्जुन मालाकार आत्मज श्री विष्णुप्रसाद माली, निवासी– वार्ड नं. 03, ग्राम सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर–मालवा (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 8850 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1375/2, ग्राम सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 694वी बैठक दिनांक 31.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 694वी बैठक दिनांक 31.10.2023 की अनुशंसा को मान्य

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **आगर–मालवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री अर्जुन मालाकार आत्मज श्री विष्णुप्रसाद माली, निवासी– वार्ड नं. 03, ग्राम सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर–मालवा (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 8850 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1375/2, ग्राम सोयतकलां, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 8144 दिनांक 27.06.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.06.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

4. **प्रकरण क्र. 10654/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्रा.लि., संचालक श्री सुनील बंसल, निवासी–तृतीय तल तवा कॉम्पलेक्स, विठठन मार्केट, ई–5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म०प्र०) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 93, 98/1, ग्राम खरी, तहसील विदिशा, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 694वी बैठक दिनांक 31.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 694वी बैठक दिनांक 31.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **विदिशा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iii) **निजी भू–स्वामी की लिखित सहमति एवं इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रतिबद्धता के अनुसार ही परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु जिला खनित अधिकारी द्वारा निजी भू–स्वामी के हितों के संरक्षण हेतु नियमति रूप से पर्यवेक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्रा.लि., संचालक श्री सुनील बंसल, निवासी—तृतीय तल तवा कॉम्पलेक्स, विठ्ठन मार्केट, ई—5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 93, 98/1, ग्राम खरी, तहसील विदिशा, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) विदिशा के आदेश क्र. 1353 दिनांक 22.08.2023 अनुसार दिनांक 21.08.2025 तक की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.08.2025 तक वैध मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 10651/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्रियंका द्विवेदी पत्नि श्री आनंद कुमार द्विवेदी, निवासी— म.नं. डी—201, जीवन बिहार परिसर, कोटरा सुल्तानाबाद रोड़, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 349, ग्राम बारीगढ़, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 694 वी बैठक दिनांक 31.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान **की जानकारी विभागीय** निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के **माध्यम से नवीन जिला** सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में **सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 9193/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र यादव आत्मज श्री रामनरेश यादव, निवासी ए–2, मंदाकिनी ब्लॉक, केविहार लाईन–1, बटालियन, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा 178/228/1, ग्राम अलवासा, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 769वीं बैठक दिनांक 01.02.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 618वी बैठक दिनांक 11.01.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

"..........समिति ने चर्चा उपरांत पाया कि सेक की 586वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में की गई अनुशंसा अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा प्रकरण कमांक डब्लू.पी. नं. 18163/2019 में आदेश दिनांक 17/01/2020 जारी दिशा निर्देशो के बावजूद भी प्रश्नाधीन खदान को क्यो स्वीकृती प्रदान की गई तथा क्या माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच द्वारा जारी आदेश दिनांक 17/01/2020 इस खदान पर लागू नही होता, पर खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन 15 दिवस मागा जाये के संदर्भ में संबंधित खनिअधिकारी जिला इंदौर (पत्र क्रमांक 1402 दिनांक 10/07/22 के माध्यम से) द्वारा जो जानकारी दी गई थी वह सुस्पष्ट व समाधानकारक नही है तथा दिया गया उत्तर दिग्भ्रमित करने वाला है । अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार निर्मित स्थिति से कार्यालय कलेक्टर, इंदौर को सिया के माध्यम से अवगत कराया जाये ताकि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सुस्पष्ट जानकारी प्रकरण के अविलंब निराकरण हेतु प्राप्त हो सके।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए कलेक्टर, इंदौर से उक्त प्रस्तावित खदान के संचालन पर माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर बेन्च द्वारा आदेशित कार्यवाही के परिपालन के संबंध में स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में प्राप्त किया जाये। तब तक प्रकरण को Delist करने का निर्णया लिया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर इन्दौर से पत्र क्र. 2345 दिनांक 26.10.2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी प्रेषित की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क्र. 10022/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल मीणा आत्मज श्री घनश्याम मीणा, निवासी ग्राम बैरागढ़, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,889 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 784/1 ग्राम कांकरिया, तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निर्णय लिया गया कि अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र के चारो ओर कृषि भूमि परिलक्षित है तथा खनिज का परिवहन किस मार्ग से किया जायेगा परिलक्षित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन मार्ग का मैप तैयार कर 15 दिवस में प्रस्तुत करें साथ ही परिवहन मार्ग में आ रही निजी भूमि के भू—स्वामियों की सहमति एवं अनुबंध भी प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन **ADS** दिनांक 23.10.2023 के माध्यम से प्रकरण में परिवहन मार्ग मानचित्र पर एवं परिवहन मार्ग में आ रही निजी भूमि के भू–स्वामियों की सहमति शपथ पत्र पर प्रस्तुत की गई है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा परीक्षण कर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के चारो ओर निजी कृषि भूमि परिलक्षित है तथा उक्त खदान के चारो ओर कृषि भूमि स्थित है। अतः कलेक्टर राजगढ़ से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि भू–स्वामियों की सहमति सहित प्रस्तावित खदान के 500 मीटर में खनन संक्रिया जिसमें मुख्यतः खनिज परिवहन से पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों एवं कृषकों की भूमि के संरक्षण के दृष्टिगत क्या इस तरह की लीज पर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं ? तबतक प्रकरण को यथावत **Delist** रखा जाता है।

8. प्रकरण क्र. 10040/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रेम शर्मा आत्मज श्री मुंशीराम शर्मा, निवासी 42, मधुबन कॉलोनी, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सैमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.38 हेक्टेयर, खसरा 888/4/4, ग्राम हरसोल, तहसील महु, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा 801वीं बैठक दिनांक 17.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 664वी बैठक दिनांक 28.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज पर के आधार पर प्रस्तावित खदान वर्जन पहाड़ी पर स्वीकृत है एवं उक्त पहाड़ी पर मनरेगा योजना के तहत वाटर शेड के कार्य (कटूंर ट्रेंचेस) परिलक्षित हैं। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर, इन्दौर से 15 दिवस स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त वर्जन पहाड़ी जिस पर मनरेगा योजना के तहत वाटर शेड के कार्य (कटूंर ट्रेंचेस) किये गये है पर खनन संक्रियाओं हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना क्या उचित है ? तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन **ADS** दिनांक 20.11.2023 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में जिला खनिज अधिकारी, इन्दौर का पत्र क्र. 2016 दिनांक 21.09.2023 प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा परीक्षण कर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि जिला खनिज अधिकारी इन्दौर द्वारा प्रस्तुत जानकारी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है।

प्रकरण में जिला कलेक्टर इन्दौर से क्षेत्र की अद्यतन स्थिति के परिदृश्य खनन संक्रिया के दौरान समीपस्थ क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति दिया जाना उचित है अथवा नही के संबंध में स्पष्ट अभिमत चाहा गया था जो कि अप्राप्त है। अतः उपरोक्त के संबंध जिला कलेक्टर से

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

जिला स्तर पर स्थल निरीक्षण करवाये जाने के उपरांत स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तबतक प्रकरण को यथावत **Delist** रखा जाता है।

9. प्रकरण क्र 6127/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री मूलशंकर लोहार आत्मज श्री रामरतन लोहार, निवासी ग्राम अनंतखेड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हे., खसरा 512, ग्राम – अनंतखेड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वी बैठक दिनांक 11.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण **समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

"..........प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

*उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री मूलशंकर लोहार एवं पर्यावरण सलाहकार श्री एस.बी. सिन्हा **Aseries Envirotek India Pvt Ltd Noida** प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि मे 02 अन्य स्वीकृत/संचालित खदाने क्रमशः रकबा 2.0 हे. (श्री श्रेणिक कोठारी) एवं रकबा 2.0 हे. (श्री मेहन सिंह सोलंकी) है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये :–

1. *कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चानुसार Environmental Parameters का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित **Site Specific** इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।*
2. *कलस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा Air Modeling में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।*

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.11.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण को Relist कर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय निम्नानुसार लिया गया :–

1. प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी में वर्तमान में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें वायु गुणवत्ता के डाटा वर्ष 2019 के दिये गये है जबकि स्पष्टीकरण/जानकारी वर्ष 2023 में मांगी गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. क्लस्टर मैनेजमेन्ट प्लान को और Site Specific बनाकर युक्तियुक्तकरण किया जाये जिसमें क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदाने अनिवार्य रूप से सम्मलित हो तथा इसे सतत् प्रभावी ढंग से कैसे संचालित किया जायेगा, उसके बारे में भी जानकारी दी जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी 15 दिवस में प्रस्तुत की जाये तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

10. **प्रकरण क्र. 10403/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18,690 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम मेंहदी–3, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 815वीं बैठक दिनांक 01.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 685वीं बैठक दिनांक 03.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट--बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त प्रकरण क्र. 10408/2023 में ग्राम पंचायत मेंहदी द्वारा खदान स्वीकृत न किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा प्रस्तावित खदान भी ग्राम मेंहदी में है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 की बैठक में स्पष्टीकरण हेतु रखा गया किन्तु प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित करते हुए प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र चंदेल एवं पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी Parivesh Environmental Engineering Services Lucknow प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थित हुए।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत मेंहदी द्वारा पूर्व में वर्ष 2019 में दी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उक्त खदान स्वीकृति न किये जाने हेतु आपत्ति दर्ज की गई है लेकिन वर्तमान अवधि में खनन कार्य पूर्ण होने तक ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मेंहदी से ग्राम सभा द्वारा नवीन ठहराव प्रस्ताव पारित करने के उपरांत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

11. प्रकरण क्र. 10408/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25,830 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम मेंहदी–1, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 815वीं बैठक दिनांक 01.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 685वीं बैठक दिनांक 03.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत मेंहदी द्वारा खदान स्वीकृत न किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 की बैठक में स्पष्टीकरण हेतु रखा गया किन्तु प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित करते हुए प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र चंदेल एवं पर्यावरण सलाहकार श्री विकास चंद्र त्रिपाठी Parivesh Environmental Engineering Services Lucknow प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थित हुए।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत मेंहदी द्वारा पूर्व में वर्ष 2019 में दी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उक्त खदान स्वीकृति न किये जाने हेतु आपत्ति दर्ज की गई है लेकिन वर्तमान अवधि में खनन कार्य पूर्ण होने तक ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मेंहदी से ग्राम सभा द्वारा नवीन ठहराव प्रस्ताव पारित करने के उपरांत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। तदनुसार प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा। तबतक प्रकरण को यथावत **Delist** रखा जाता है।

12. प्रकरण क्र. 10114/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक, निवासी– पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनूअल विधि), उत्पादन क्षमता 4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हे0, खसरा क्रमांक 98, ग्राम भैरोघाट, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 815वीं बैठक दिनांक 01.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 666वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 803 वी बैठक दिनांक 25.08.2023 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुददों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से अपस्ट्रीम में 360 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

अतः प्रकरण में उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक मे स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिती सुनिश्चित करें।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 की बैठक में स्पष्टीकरण हेतु रखा गया किन्तु प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित करते हुए प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं पर्यावरण सलाहकार श्री आकाश अग्रवाल Oceao Enviro Management Solutions (India) Pvt. Ltd. Gaziabad प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थित हुए।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान रोड़ ब्रिज 400 मीटर दूर है तथा 500 मीटर छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 10148/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,768 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.60 हे0, खसरा क्रमांक 765, 2222, ग्राम रूहेरा, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 815वीं बैठक दिनांक 01.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 एवं 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 805 वी बैठक दिनांक 06.09.2023 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

".. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में 805 मीटर की दूरी पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है परंतु SEAC समिति द्वारा प्रकरण में "यह खदान सिंध नदी में स्थित है तथा खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त है दोनों भाग के बीच मे से एक रोड ब्रिज स्थित है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड ब्रिज से दक्षिणी एवं उत्तरी भागों की दूरी क्रमशः 850 एवं 1500 मी. है। खनन कार्य मात्र उत्तरी भाग से किया जावेगा एवं दक्षिणी भाग को गैर खनन क्षेत्र के रूप रखा जायेगा" की अनुशंसा की गई है जो कि गूगल ईमेज अनुसार परिलक्षित नहीं है।

उक्त प्रकरण में परिवेश पोर्टल एवं अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त होना एवं दोनों भाग के बीच मे से एक रोड ब्रिज स्थित होना परिलक्षित नही है । अतः प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक मे स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिती सुनिश्चित करें।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 की बैठक में स्पष्टीकरण हेतु रखा गया किन्तु प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित करते हुए प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष सिंह एवं पर्यावरण सलाहकार सुश्री स्वाति नामदेव नामांकित प्रतिनिधि Creavtie Enviro Services भोपाल प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं SEAC की 669वी बैठक दिनांक 10.08.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य मात्र उत्तरी भाग से किया जावेगा एंव दक्षिणी भाग को गैर खनन क्षेत्र के रूप रखा जायेगा। अतः 2.53 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.06 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ हीं **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। **यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,768 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.60 हे0, खसरा क्रमांक 765, 2222, ग्राम रूहेरा, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

14. परियोजना प्रस्तावक मॉयल लिमिटेड, संयुक्त जनरल मैनेजर (खनन) श्री विकास रंजन परिदा, मॉयल भवन, 01–ए, कटोल रोड़, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा मैगनीज खदान, रकबा 260.06 हेक्टेयर पर उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 451685/2023 एवं ग्राम सीतापठोर, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) में Standard ToR जारी किये जाने SEIAA में विचार करने बाबत।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरणों में ई–मेल दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.05.2022 की प्रति संलग्न करते हुए Standard TOR जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि मॉयल लिमिटेड, संयुक्त जनरल मैनेजर (खनन) श्री विकास रंजन परिदा, मॉयल भवन, 01–ए, कटोल रोड़, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन क्र. SIA/MP/MIN/451685/2023 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में SEIAA स्तर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप Auto Generated Standard ToR जारी किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक, सदस्य सचिव SEAC व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. **परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हे0, खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम बालाभेट–1, तहसील माखननगर, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 447141/2023 में Standard ToR जारी किये जाने हेतु SEIAA में विचार करने बाबत।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरणों में महाप्रबंधक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पत्र क्र. 1114 दिनांक 09.11.2023 एवं पत्र क्र. 1154 दिनांक 28.11.2023 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.05.2022 की प्रति संलग्न करते हुए Standard TOR जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हे0, खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम बालाभेट–1, तहसील माखननगर, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन क्र. SIA/MP/MIN/447141/2023 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में SEIAA स्तर पर प्रकरण पंजीबद्ध परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप Auto Generated Standard ToR जारी किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक, सदस्य सचिव SEAC व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. परियोजना प्रस्तावक महाप्रबंधक, दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 1,84,400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.00 हे0, खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम रामगढ़–1,

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

तहसील सिवनी–मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 447461/2023 में Standard ToR जारी किये जाने हेतु SEIAA में विचार करने बाबत।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरणों में महाप्रबंधक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पत्र क्र. 1114 दिनांक 09.11.2023 एवं पत्र क्र. 1154 दिनांक 28.11.2023 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.05.2022 की प्रति संलग्न करते हुए Standard TOR जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 1,84,400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.00 हे0, खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम रामगढ़–1, तहसील सिवनी–मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन क्र. SIA/MP/MIN/447461/2023 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में SEIAA स्तर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप Auto Generated Standard ToR जारी किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक, सदस्य सचिव SEAC व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. परियोजना प्रस्तावक महाप्रबंधक, दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 4,32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 30.00 हे0, खसरा क्रमांक 1163, ग्राम निमसाडिया–4, तहसील नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 447377/2023 में Standard ToR जारी किये जाने हेतु SEIAA में विचार करने बाबत।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरणों में महाप्रबंधक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पत्र क्र. 1114 दिनांक 09.11.2023 एवं पत्र क्र. 1154 दिनांक 28.11.2023 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.05.2022 की प्रति संलग्न करते हुए Standard TOR जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 4,32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 30.00 हे0, खसरा क्रमांक 1163, ग्राम निमसाडिया–4, तहसील नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन क्र. SIA/MP/MIN/447377/2023 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में SEIAA स्तर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप Auto Generated Standard ToR जारी किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक, सदस्य सचिव SEAC व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18. **परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 1,74,825 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.655 हे0, खसरा क्रमांक 365, ग्राम मेहराघाट–9, तहसील नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 447365/2023 में Standard ToR जारी किये जाने हेतु SEIAA में विचार करने बाबत।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरणों में महाप्रबंधक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पत्र क्र. 1114 दिनांक 09.11.2023 एवं पत्र क्र. 1154 दिनांक 28.11.2023 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.05.2022 की प्रति संलग्न करते हुए Standard TOR जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 1,74,825 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 11.655 हे0, खसरा क्रमांक 365, ग्राम मेहराघाट–9, तहसील नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन क्र. SIA/MP/MIN/447365/2023 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में SEIAA स्तर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप Auto Generated Standard ToR जारी किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक, सदस्य सचिव SEAC व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. **परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 4,32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 30.00 हे0, खसरा क्रमांक 1163, ग्राम निमसाड़िया–3, तहसील नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 447380/2023 में Standard ToR जारी किये जाने हेतु SEIAA में विचार करने बाबत।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरणों में महाप्रबंधक, दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के पत्र क्र. 1114 दिनांक 09.11.2023 एवं पत्र क्र. 1154 दिनांक 28.11.2023 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.05.2022 की प्रति संलग्न करते हुए Standard TOR जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 4,32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 30.00 हे0, खसरा क्रमांक 1163, ग्राम निमसाड़िया–3, तहसील नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन क्र. SIA/MP/MIN/447380/2023 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में SEIAA स्तर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप Auto Generated

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

Standard ToR जारी किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक, सदस्य सचिव SEAC व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

20. प्रकरण क्र 9651/20203 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स टी.एन.सी. इंटरप्राईजेज, अधिकृत व्यक्ति, श्री रोहित अग्रवाल, निवासी 24, एम्पायर स्टेट, इंदौर बायपास, जिला इंदौर (म.प्र.) पत्थर व एम सेंड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 50000 व एम सेंड 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.980 हे., खसरा 440/1, 440/2, 441, 442, 456/1, 456/2, 461, 462, 455, ग्राम – पीतावली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 678वी बैठक दिनांक 13.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 815वीं बैठक दिनांक 01.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

"………. प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित अग्रवाल एवं पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव Green circle Inc. Gujrat प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परधि मे 05 अन्य स्वीकृत/संचालित खदाने है, जिनका कुल रकवा 17.10 हे. हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये :–

1. *कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चानुसार Environmental Parameters का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित Site Specific इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।*

2. ***कलस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा Air Modeling में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।***

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 24.11.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण को Relist कर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन**/जानकारी एवं SEAC की 678वी बैठक दिनांक 13.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) जिला कलेक्टर द्वारा कलस्टर में सम्मलित सभी खदान मालिकों से **Cluster Environment Management** का प्रभावीढंग से क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में परिपालन कार्यवाही परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 05 वृक्षों में से काटे जाने वाले 04 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 40 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

(iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक टी.एन.सी. इंटरप्राईजेज, अधिकृत व्यक्ति, श्री रोहित अग्रवाल, निवासी 24, एम्पायर स्टेट, इंदौर बायपास, जिला इंदौर (म.प्र.) पत्थर व एम सेंड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 50000 व एम सेंड 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.980 हे., खसरा 440/1, 440/2, 441, 442, 456/1, 456/2, 461, 462, 455, ग्राम – पीतावली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास के आदेश क्र. 3118 दिनांक 22.11.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

21. **प्रकरण क्र 9710/20203 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.बी.ए. प्रा.लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री बने सिंह ठाकुर, निवासी– 158, कंचन बागर, जिला इंदौर (म.प्र.) पत्थर व एम सेंड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 व एम सेंड 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हे., खसरा 510, 511/1, 511/2, 514, 515/1, ग्राम – पीतावली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 818वी बैठक दिनांक 29.11.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 678वी बैठक दिनांक 13.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 815वीं बैठक दिनांक 01.11.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

"......... प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित अग्रवाल एवं पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव Green circle Inc. Gujrat प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के** समक्ष परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर **की परधि** मे 05 अन्य स्वीकृत/संचालित खदाने है, जिनका कुल रकवा 17.10 हे. है। **अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत** पर्यावरण **सलाहकार के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये :–

3. ***कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के** वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के **मद्देनजर** पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई **चर्चानुसार** Environmental Parameters का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित **Site Specific इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।***

4. ***कलस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा** Air Modeling **में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता,** Air Modeling **के** Software **का पूर्ण विवरण तथा** Air Modeling Equation **में उपयोग किये गये** Data **का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।***

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 24.11.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण को Relist कर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन**/जानकारी एवं SEAC की 678वी बैठक दिनांक 13.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) जिला कलेक्टर द्वारा कलस्टर में सम्मलित सभी खदान मालिकों से Cluster Environment Management का प्रभावीढंग से क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में परिपालन कार्यवाही परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 05 वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 30 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्वार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.बी.ए. प्रा.लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री बने सिंह ठाकुर, निवासी– 158, कंचन बागर, जिला इंदौर (म.प्र.) पत्थर व एम सेंड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 व एम सेंड 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हे., खसरा 510, 511/1, 511/2, 514, 515/1, ग्राम – पीतावली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास के आदेश क्र. 288 दिनांक 31.01.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.01.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

22. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशुतोष टेमले, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा डोलोमाईट खदान, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 1,04,357 टीपीए, माईन वेस्ट 11594 टीपीए एवं मिट्टी 19222 टीपीए, रकबा 2.52 हे0, खसरा क्रमांक 830, ग्राम मुगदरा, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 424777/2023 में Standard ToR जारी किये जाने हेतु SEIAA में विचार करने बाबत।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरण में ई–मेल दिनांक 22.11.2023 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.05.2022 की प्रति संलग्न करते हुए Standard TOR जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशुतोष टेमले, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा डोलोमाईट खदान, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 1,04,357 टीपीए, माईन वेस्ट 11594

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

टीपीए एवं मिट्टी 19222 टीपीए, रकबा 2.52 हे0, खसरा क्रमांक 830, ग्राम मुगदरा, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन क्र. SIA/MP/MIN/424777/2023 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में SEIAA स्तर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप Auto Generated Standard ToR जारी किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक, सदस्य सचिव SEAC व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

नीतिगत निर्णय :–

1. **पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के छःमासी अनुपालन प्रतिवेदनों की जानकारी प्रस्तुतीकरण के संबंध में :–**

   पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के प्रकरणों में ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत कंडिका 10 के II एवं III में निहित निर्देशानुसार पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के छःमासी अनुपालन प्रतिवेदनों की जानकारी भी परिवेश पोर्टल पर आवेदनों के साथ संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाये।

2. **DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के पुनः परीक्षण (Re-Appraisal) हेतु आवेदित प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के छःमासी अनुपालन प्रतिवेदनों की जानकारी प्रस्तुतीकरण के संबंध में :–**

   DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के पुनः परीक्षण (Re-Appraisal) हेतु आवेदित प्रकरणों में ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत कंडिका 10 के II एवं III में निहित निर्देशानुसार पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के छःमासी अनुपालन प्रतिवेदनों की पूर्ण जानकारी भी SEAC समिति के समक्ष संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत की जाये।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार लिये गये नीतिगत निर्णित कार्यवाही के परिपालन में कार्यलयीन ज्ञापन जारी कर बेवसाईट पर अपलोड किया जाये।

3. **ई.आई.ए. प्रतिवेदन में कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान का परीक्षण करने बावत् :–**

   प्रायः यह देखने में आ रहा है कि परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता एवं कलस्टर में सम्मिलित खदानों के कारण पड़ने वाली प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान का समावेश विस्तृत रूप से ई.आई.ए. प्रतिवेदन में नहीं किया जा रहा है। अतः प्रकरण क्र. 9651/2022 एवं 9710/2023 के परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार द्वारा संशोधित एवं विस्तृत कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.11.2023 में प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु SEAC को प्रेषित की जाये।

   अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि ई.आई.ए. प्रतिवेदनों में विस्तृत रूप से कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान का समावेश किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार को निर्देश जारी किये जाने हेतु SEAC को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का **छःमाही अनुपालन** प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय **कार्यालय पर्यावरण, वन** एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **को भी प्रेषित किया जाये।**
2. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी **यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में** प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की **कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**	(अनिल कुमार शर्मा) **सदस्य**	(अरूण कुमार भट्ट) **अध्यक्ष**

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
7. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

11. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

14. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।

16. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
21. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
27. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
28. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :–

29. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
30. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.

31. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
32. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
33. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
34. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
35. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
36. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष